संख्या- **820**/2024/2482/41-1-2024/**सी0एन0**-1764930/2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

विषय:- जिला योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के भदान में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4619/7-1-1/जि0यो0/फिरोजाबाद/2023-24, दिनांक 19-09-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के भदान में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पर्यटन विकास कार्य को निरस्त किये जाने तथा कार्यदायी संस्था को अब तक अवमुक्त कुल धनराशि समर्पित कराने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्तजिला योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के भदान में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-897/41-2023/1764930-23, दिनांक 02-11-2023 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन (जि0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 6, 7 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।